

—: आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अप्रैल-2021 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है:-

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
1	पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1,2 व 3 लखनऊ	5/4/2021 से 9/4/2021	अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ। पीठ-2, लखनऊ।	न्यायिक विभागीय
2	पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	5/4/2021 से 9/4/2021	पीठ-1, नोएडा पीठ-3, कानपुर	न्यायिक विभागीय
3	पीठ-1 कानपुर	पीठ-1,2,3 व 4 कानपुर	26/4/2021 से 30/4/2021	पीठ-1, कानपुर पीठ-4, कानपुर	न्यायिक विभागीय
4	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	19/4/2021 से 24/4/2021	पीठ-1, नोएडा पीठ-2, नोएडा	न्यायिक विभागीय
5	पीठ-1 गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	5/4/2021 से 9/4/2021	पीठ-1, गाजियाबाद पीठ-2, गाजियाबाद	न्यायिक विभागीय
6	पीठ-1 मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	19/4/2021 से 21/4/2021	पीठ-1, गाजियाबाद पीठ-2, मेरठ	न्यायिक विभागीय
7	पीठ-मुरादाबाद	पीठ-मुरादाबाद	26/4/2021 से 30/4/2021	पीठ-1, आगरा पीठ-मुरादाबाद	न्यायिक विभागीय
8	पीठ- बरेली	पीठ-बरेली	5/4/2021 से 8/4/2021	पीठ-1, बरेली पीठ-मुरादाबाद	न्यायिक विभागीय
9	पीठ-झांसी	पीठ-झांसी	19/4/2021 से 23/4/2021	पीठ-1, आगरा पीठ-3, कानपुर	न्यायिक विभागीय
10	पीठ-मुजफ्फर नगर	पीठ-मुजफ्फर नगर	26/4/2021 से 30/4/2021	पीठ-बरेली पीठ-मुजफ्फरनगर	न्यायिक विभागीय
11	पीठ-1 इलाहाबाद	पीठ-1 व 2 इलाहाबाद	19/4/2021 से 22/4/2021	पीठ-1, लखनऊ। पीठ-2, इलाहाबाद	न्यायिक विभागीय
12	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी	5/4/2021 से 9/4/2021	पीठ-1, लखनऊ। पीठ-5, वाराणसी।	न्यायिक विभागीय
13	पीठ-गोरखपुर	पीठ-गोरखपुर	26/4/2021 से 28/4/2021	पीठ-1, लखनऊ। पीठ-फैजाबाद।	न्यायिक विभागीय
14	पीठ-फैजाबाद	पीठ-फैजाबाद	19/4/2021 से 21/4/2021	अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ। पीठ-फैजाबाद	न्यायिक विभागीय

ह०/19.03.2021

(महताब अहमद)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकनः वा०क०अधि०/यु०पी०ग०/ /2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बंधित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण।
2. कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

प्र० निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,